राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ **e-mail:** jdadmn.cce@gmail.com **Ph.: 0141-2702247**

क्रमांकः– एफ.1( )प्रशा/आकाशि/प्र.स.–सा.प./2024–19275 दिनांकः– हस्ताक्षर दिनांक

समस्त सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।

विषय : अशैक्षणिक कार्मिकों को विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के अधीन कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों (प्रयोगशाला सहायक संवर्ग सहित) उच्च अध्ययन, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत तथा पीएचडी हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आयुक्तालय स्तर से सशर्त जारी किये जाते रहे है।

इस हेतु समस्त सहायक निदेशक/प्राचार्य को संलग्न शर्तों के अध्यधीन अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।
संलग्न :– उपर्युक्तानुसार।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–.

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

RajKaj Ref
12281780

Signature valid
Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.11 14:22:06 IST
Reason: Approved

अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु शर्ते :–

उच्च अध्ययन :–

1. उच्च अध्ययन केवल दूरस्थ शिक्षा/स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में करना होगा। यदि संस्थान उक्त पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा/स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में नही करवाता हो तो उस स्थिति में यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
3. इससे राजसेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नही होगा।
4. राज्य सरकार इस हेतु किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार वहन नही करेगी।
5. इससे राजकार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही होनी चाहिए।
6. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

प्रतियोगी परीक्षा :–

1. इस हेतु आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश देय नही होगा।
2. इससे राजसेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नही होगा।
3. राज्य सरकार इस हेतु किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार वहन नही करेगी।
4. इससे राजकार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही होनी चाहिए।
5. प्रतियोगी परीक्षा में आवेदित पद पर चयनोपरान्त राजसेवक को नियमानुसार विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर जाना होगा।

पीएचडी :–

1. इस हेतु आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश देय नही होगा।
2. इससे राजसेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नही होगा।
3. राज्य सरकार इस हेतु किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार वहन नही करेगी।
4. इससे राजकार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही होनी चाहिए।
5. 06 माह के कोर्स वर्क हेतु राजसेवक को स्वयं के देय अवकाश का ही उपभोग करना होगा।

RajKaj Ref
12281780

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.11 14:22:06 IST
Reason: Approved

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में किसी भी प्रकार का गलत तथ्य पाये जाने पर यह स्वतः निरस्त समझी जावेगी।
7. सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा पीएचडी हेतु रजिस्ट्रेशन पत्र जारी करते ही रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति अपने कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करनी होगी।
8. जिस विश्वविद्यालय/संस्थान हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है केवल उसी विश्वविद्यालय/संस्थान से पीएचडी करने हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
9. जिस विश्वविद्यालय/संस्थान से पीएचडी करने के लिए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसकी मान्यता आदि के बारे में राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

नोट :– उक्त शर्तों के अलावा समस्त सहायक निदेशक/प्राचार्य राज्य सरकार द्वारा उक्त के संबंध में समय–समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र/आदेश आदि की पालना भी सुनिश्चित करवायें।

आयुक्त

RajKaj Ref
12281780

Signature valid
Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.11 14:22:06 IST
Reason: Approved